मानननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नि/2729/I/15

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

इंदु सिंह पिता श्री सुम्मेर सिंह उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम सुंदरपुर तहसील पनागर
जिला जबलपुर म0प्र0 ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्री घनश्याम यादव पिता श्री किशोरीलाल यादव
उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सुंदरपुर
तहसील पनागर जिला जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला जबलपुर .... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 222/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-7-15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम धरहर प0ह0नं0 35 रा0नि0म0 पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 55/2 रकबा 0.60 हैक्टर (1.48 एकड़) अपीलार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर अपीलार्थी का नाम भमिस्वामी के रूप में दर्ज है । अपीलार्थी खेती का कार्य करता है इस कारण उसने अपनी अन्य कृषि भूमि को उन्नत एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसके द्वारा भूमि के विक्रय का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से किया गया और उक्त भूमि को विक्रय करनेकी अनुमति हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रस्तुतकार

7-10-15	आवेदक अधिवक्ता श्री रवीन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्होंने जमानत को आर-प्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया।	As for Press 7.10.15

P.T.O

[पीछे दे

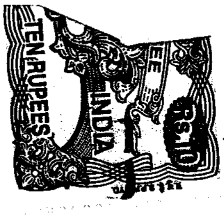

नि०ग० 2729-ए/15 जबलपुर

इन्द्र सिंह / घनश्याम

पूर्ववत से।।

विचारोपरान्त उनका निवेदन स्वीकार करते हुए, प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सी०पी०सिंह

25/